

166  
2021

रिपोर्ट पटवारी हत्या / आई०एल०आर०  
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

वामलाम

खाता नं-144 में संवहन से खतेदार का नाम सुजानसिंह पुत्र मगन सिंह जलत दर्ज है तथा संवहन स्त्रावेजी के आधार पर सुजानसिंह पुत्र मगनसिंह शुद्ध किया जाना उचित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

पटवारी  
पटवारी वामलाम  
तह. गुढागौड़जी जिला बुन्देलखण्ड

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अधिसूचना की जाती है / नहीं की जाती है।

**प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021**

*[Signature]*  
तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला बुन्देलखण्ड (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 18-10-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०आ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०आ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दगी सन्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	वामलाम	2075-78	144, 181 207, 208	सुजानसिंह पुत्र मगन सिंह	सुजान सिंह शैखात पुत्र मगनसिंह

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 151-152  
तिलिपि :-

दिनांक :- 18-10-

1. तहसीलदार (भू०आ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया ..... को सूचनाार्थ।

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी